आवश्यक / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 46 / चारा / 3–डी–64 / श0चा0 / 2014–15, दिनॉक 03 मार्च,2016

विषयः– नेशनल लाइब स्टाक मिशन में चारा दाना विकास योजनार्न्तगत शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन उपलब्ध कराया जाना (50प्रतिशत केन्द्र / 50प्रतिशत लाभार्थी अंश) योजनार्न्तगत आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–11 / 2016 / 466 / सैंतीस–2–2016–1(22) / 2014, दिनॉक 25 फरवरी 2016 को वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसका आवंटन इस कार्यालय के पत्र संख्या–576 / बजट / 29(5) / अनु0–15 / 31 / 2015–16, दिनॉक 29.02.2016 से किया गया है। प्रश्नगत योजना में निम्न निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए आवंटित धनराशि का व्यय एवं उपयोग करना सुनिश्चित करें:–

1– योजना में शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य रु0–20000 / –निर्धारित है। योजनार्न्तगत लाभार्थी को मशीन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु0–10000 / –जो भी कम होगा, अनुदान दिया जायेगा। शेष मूल्य लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।

2– लाभार्थी को अनुदान की धनराशि नगद नहीं दी जायेगी। बल्कि बैंक खाते के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लाभार्थी को एक ही बार उपलब्ध कराया जायेगा।

3– जनपद के ऐसे पशुपालक का चयन लाभार्थी के रुप में किया जायेगा, जो कम से कम 05 बड़े दुधारु पशु पालता हो।

4– योजनार्न्तगत लघु / सीमांत पशुपालकों का ही चयन किया जायेगा।

5– प्रदेश में अल्पसंख्यकों को शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियो का चयन किया जाय।

6– दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। आवेदन पत्र को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा, जिसका पर्यवेक्षण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि करेगें तथा प्राप्ति रसीद (दिनॉक व समय सहित) आवेदक को प्राप्त करायेगें।

7– लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला कृषि अधिकारी सदस्य एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदस्य / सचिव होगें, के माध्यम से किया जायेगा। यथा सम्भव प्रत्येक विकास खण्ड का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।

8– योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से प्रदेश में 628 लाभार्थियों को लाभाविन्त कराया जाना है। अतः प्रत्येक जनपद हेतु जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण इस कार्यालय के आवंटन पत्र संख्या–576 / बजट / 29(5) / अनु0–15 / 31 / 2015–16, दिनॉक 29.02.2016 में परिशिष्ट 'क' के कालम–3 में उल्लेख किया गया है।

9– मशीनों का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वंय ही किया जायेगा। मशीन क्रय करने में संबंधित फर्म को सम्पूर्ण भुगतान प्रथमतयः लाभार्थी को स्वंय करना होगा।

10– लाभार्थी द्वारा क्रय की गयी मशीन का बिल–बाउचर्स स्वंय सत्यापित कर अनुदान प्राप्त करने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद (दिनॉक समय सहित) लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

11– मशीनों का क्रय सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों से ही किया जायेगा। क्रय की जाने वाली मशीनों का गुणवत्ता एवं मानक निम्न होगें:–

"कास्ट आयरन हेतु कम्पलीट तीन रोलर के साथ, आयल टैंक सहित, वी बेल्ट, 790एमएम की कास्ट आयरन व्हील, कार्बन स्टील ब्लेट नट वोल्ट सहित, जीपी शीट का परनाला, स्टैण्ड एमएस, इग्गिल 55X55X2.5एमएम एवं एमएस इग्गिल 30X30X2एमएम, 02 हार्स पावर मोटर, सींगल फेस और डबल फेस, वजन लगभग140 किग्रा0, 02 प्रतिशत वजन प्लस/माइनस हो सकता है।"

12— बिल—बाउचर्स प्राप्त होने तथा स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् तत्काल लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान की धनराशि उल्लिखित निर्देशानुसार भेज दी जाये तथा लाभार्थी को लिखित रुप से भी अवगत कराया जायेगा।

13— मशीनों के क्रय मूल्य में एक रुपता होनी चाहिए, भिन्नता की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जिम्मेदार होगें।

14— लाभार्थी की सूची संलग्न प्रारुप पर बिल—बाउचर्स की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।

15— आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16— शासन के पत्र संख्या—8/2016/3090/सैंतीस—2—2015—1(22)/2014, दिनॉक 19 फरवरी 2016 जो कि इस कार्यालय पृष्ठांकन संख्या—35/प—2/3डी/60/श0चा0/चारा/2015—16, दिनॉक 19 फरवरी, 2016 से आपको पृष्ठांकित है, अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। विचलन की स्थिति में आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

<u>संलग्नकः—यथोपरि।</u>

भवदीय,

(डा0राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /चारा/3—डी—64/श0चा0/2014—15, तद्दिनॉक।

1— प्रतिलिपि समस्त अपर निदेशक ग्रेड—।।, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त वर्णित निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

2— प्रतिलिपि समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

3— प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

4— प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।